2051 INDIA TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

115

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक अपील 8006 PBR/2016

मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लि.बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश

.................अपीलार्थी

दिनांक 19-2-16 को श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत/ 19-2-16

1— आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

2— सहायक आबकारी आयुक्त जिला खरगोन

..................प्रत्यर्थीगण

50 न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2015—16/3537 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलर्थी की आरे से निम्नांकित निवेदन है:—

1— यहकि वर्ष 2005—06 में राज्य के कुछ देशी मदिरा भाण्डागारों के उन्नयन एवं वाटर सॉफ्टनर प्लॉट की स्थापना हेतु विभाग के द्वारा कुल राशि रूपये 29.38 लाख का आवंटन किया गया था। आवंटित राशि में से निम्न देवास,नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़, मंदसौर, बड़वानी, खरखोन, बड़वाह जिला खरगोन महू जिला इन्दौर, झबुआ, खण्डवा, दमौह, ग्वालियर दतिया छतरपुर भाण्डागारों पर व्यय किया गया था।

2— यहकि वर्ष 2005—06 से वर्ष 2014—15 तक 10 वर्षो की अवधि में उक्त राशि भाण्डागारों की किराये में वृद्धि कर वसूल की जानी थी। इस संबंध में महालेखाकार दल ने उक्त राशि की वसूली की संबंधित प्रदाय संविदाकारों से न करने की आपत्ति ली है। उक्त आपत्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

19.2.16 K.K.Dwivedi.

3— यहकि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा महालेखाकार दल की आपत्ति के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ कर अपीलर्थी को सूचना

[redacted]

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– अपील 8006–पीबीआर/16 जिला– खरगौन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–2–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील आबकारी आयुक्त के प्रकरण/पृष्ठांकन कमांक/5(1)2015–16/3537 में पारित आदेश दिनांक 31–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश वॉटर साफ्टनगर प्लॉट स्थापित किए जाने में व्यय की गई राशि की वसूली के संबंध में है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था या कंपनी को सुनवाई का अवसर तथा साक्ष्य का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अतः आलोच्य आदेश जहां तक अपीलार्थी कंपनी (प्रदाय संविदाकार – एसोसियेटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेबरीज लिमि. बड़वाह जिला खरगौन) का संबंध है उस सीमा तक अपास्त किया जाता	

नि.- 8006 PBR/16 (खरगोन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	है एवं प्रकरण आबकारी आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है अपीलार्थी कंपनी को सुनवाई तथा साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करें । यह आदेश अपीलार्थी कंपनी एसोसियेटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेबरीज लिमिटेड, बड़वाह जिला खरगौन के हितों तक प्रभावशील होगा । उक्त निर्देश के साथ यह अपील निराकृत की जाती है ।	
	सदस्य	
2/6		